कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
दूनागिरी रोड, द्वाराहाट, अल्मोडा।
Dwarahat (263653) Email Id :- eepmgsydwarahat@rediffmail.com

पत्रांकः— 97 / व0भू0 / 2025 दिनांकः— 21/02/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :— **जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गजार से क्वैराली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.31 हैक्टेयर वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**
ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/11370/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि, गजार से क्वैराली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.31 हैक्टेयर वन भूमि के ऑनलाइन प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र सं0: 8 बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 178 / 2015 / एफ0सी0 / 78 दिनांक 15.04.20216 से निर्गत की गयी थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि का भारतीय वन अधिनियम – 1927 के अन्तर्गत आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने की वांछना की गयी है, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक सं0 702 / व0भू0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2024 दिनांक 14.10.2024 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ को पत्र प्रेषित है तथा पिथौरागढ वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चयनित सिविल सोयम भूमि को आरक्षित वन / संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अपने पत्रांक सं0 I/90686/2024 दिनांक 17.12.2024 द्वारा क्रम सं0-1 में अवगत कराया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमे सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है एवं म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, ऐसे प्रस्तावों में अधिसूचना की प्राप्ति की प्रत्याशा में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने की संस्तुति प्रदान की गई है (प्रति संलग्न)।

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त को दृष्टिगत रखेत हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो सकें।

संलग्नः— 1— सैद्धान्तिक स्वीकृति का पत्र।
2— अमलदरामद की प्रति।
3— संरक्षित वन घोषित किये जाने का प्रमाण पत्र।
4— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र।

भवदीय,

19/02/25

(आशीष कुमार सिंह)
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, द्वाराहाट, अल्मोडा।

पत्रांकः— / व0भू0 / 2025 दिनांकः—

प्रतिलिपि :— प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ वन प्रभाग, पिथौरागढ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, द्वाराहाट, अल्मोडा।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट ,देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2750809,
ईमेल / **Email** – moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 178 / 2015 / एफ0सी0 / 78

दिनांकः 15 / 04 / 2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद–अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गजार से क्वरैली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.31 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : **ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या**–FP/UK/ROAD/11370/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्रांक 516/X-4-15/1(297)/2015 दिनांक 29.06.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11370/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 30.10.2015 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा वांछित आवश्यक सूचनाओं / दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गजार से क्वरैली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.31 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 10.62 है0 कालून सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाता संख्या 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक–11 भूतल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई

दिल्ली–110003 में जमा कराया जाए एवं इस कार्यालय को सूचित किया जाए। धनराशि का हस्तान्तरण **Online portal** के माध्यम द्वारा ही किया जाना आवश्यक है।

5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 10.62 है0 सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 296 से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(सरिता कुमारी)
उप वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सरिता कुमारी)
उप वन संरक्षक

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रांक 688 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ, 20 अगस्त, 2018।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,देहरादून।

विषयः- जनपद अल्मोड़ा के गजार से क्वैराली मोटर मार्ग, मन्याचौड़ा भन्टी मोटर मार्ग, नौला थिरौली मोटर मार्ग व घापानी से डबूली मोटर मार्ग में वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 32.116 हे0 वन भूमि का म्यूटेशन।

संदर्भः- जिलाधिकारी पिथौरागढ के आदेश सं0 2171/सात-45/2017-18 दिनांक 06-08-2018 उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दि0 17-12-2012 व प्रस्तावक विभाग की पत्र सं0 673 दि0 13-08-2018।

महोदय,

संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 1 के क्रम में निम्नांकित मोटर मार्ग में प्रभावित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 32.116 हे0 वन भूमि का म्यूटेशन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 32.116 हे0 1- ग्राम सेला, पट्टी-दूरतू, स्याकूरी, पट्टी-जुम्मा, खेत, पट्टी-खेत, तहसील धारचूला का जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 2171/सात-45/2017-18 दिनांक 06-08-2018 से नामान्तरण/हस्तान्तरण कर दिया गया है। उक्त सिविल वन भूमि को प्रशासनिक नियंत्रण मे वन विभाग के कब्जे में ले लिया गया है, वर्तमान में उक्त भूमि का स्वामित्व वन विभाग का है।

क्र0सं0	मोटर मार्ग का नाम	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवश्यक भूमि (हे0 में)	ग्राम का नाम जहाँ सिविल भूमि है
1.	गजार से क्वैराली मोटर मार्ग	10.620	खेत
2.	मन्याचौड़ा भन्टी मोटर मार्ग	4.682	स्याकूरी
3.	नौला थिरौली मोटर मार्ग	10.854	सेला
4.	घापानी से डबूली मोटर मार्ग	5.010	स्याकूरी

संलग्नः- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः- 688 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, पी0नि0वि0 द्वाराहाट, जिला-अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना अन्तर्गत निम्नलिखित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों (1. मांजर से बदैराली मोटर मार्ग, 2. धापानी से डढूली मोटर मार्ग, 3. नौला से थिरौली मोटर मार्ग, 4. मानस्याचौना से भण्टी मोटर मार्ग) अन्तर्गत मोटर मार्गों के निर्माण हेतु वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0 द्वाराहाट को प्रत्यावर्तन किया जाना है।

उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम खेत पट्टी खेत तहसील धारचूला के गैर ज0वि0खतौनी खाता सं0–64 श्रेणी–9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत सं0–3719 रकवा 5.216 हे0, 3720 रकवा 0.604 हे0, 3730 रकवा 0.251 हे0, 3733 रकवा 2.902 हे0, 3836 रकवा 1.151 हे0 कुल 05 खेतों की 10.124 हे0 ग्राम सेला, पट्टी दुग्तू तहसील धारचूला के गैर ज0वि0 खतौनी खाता सं0–21 श्रेणी–9(3)ड बंजर काबिल आबादके खेत सं0 13 म0 11.152 हे0 तथा ग्राम स्यांकुरी पट्टी जुम्मा तहसील धारचूला के गैर ज0वि0खतौनी खाता सं0–140 श्रेणी–9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत सं0 14556 रकवा 1.905 हे0, 14558 रकवा 1.128 हे0 14559 रकवा 0.211 हे0 14571 रकवा 0.564 हे0, 14635 रकवा 0.314 हे0, 14637 रकवा 0.439 हे0, 14638 रकवा 0.501 हे0, 14639 रकवा 0.376 हे0, 14642 रकवा 0.249 हे0, 14645 रकवा 0.251 हे0, 14646 रकवा 0.501 हे0 14647 रकवा 0.439 हे0, 14649 रकवा 0.815 हे0, 14650 रकवा 1.003 हे0, 14654 रकवा 0.627 हे0, 14655 रकवा 0.564 हे0, 14663 रकवा 1.003 हे0 कुल 17 खेतों की 10.89 हे0, इस प्रकार उक्त 03 ग्रामों के कुल 23 खेतों की कुल 32.166 हे0 सिविल भूमि सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं0 2171/सात–45/2017–18 दिनांक 06.08.2018 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। अतः इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला

158/2024-FC

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Forest Conservation Division)
Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bagh Road,
New Delhi: 110003
Dated: December, 2024

To

The Addl. Chief Secretaries of Forests/Principal Secretary (Forests),
All States Governments and Union territory Administrations

Sub: Streamlining of the approval process with regards to compensatory afforestation as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024 – reg.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the above subject and to inform that based on the references received from the Ministry of Mines, and Ministry of Coal, the provisions related to raising of compensatory afforestation, as envisaged in the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 as amended on 20.09.2024, have been reviewed by the Ministry and after due deliberations, the Central Government, in accordance with the provisions of section 3C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 hereby issues the following clarifications:

i. Provisions of Rule 14(1) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, provides that the non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation (CA) is to be notified as Protected Forests before final approval (Stage-II) approval is granted by the Central Government. However, in cases where non-forest land identified for CA has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department (SFD), the Central Government may accord final approval keeping in view the fact that provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 become applicable on such lands being entered as forest in government record/record of rights.
ii. In such cases, referred in para (i) above, the non-forest land forest land proposed for CA, shall be notified as Protected Forest under section 29 of the Indian Forest Act, 1927 of local forest Act before handing over of forest land to the User Agency by the State Government. The Nodal Officer, after notification of such non-forest lands, shall upload a copy of said notification on the PARIVESH portal.
iii. For the purpose of rule 13(4)(a) of the States or Union territory Administrations, having forest area more than 33% of their total geographical area, concerned State Government/UT Administration may authorise a suitable officer to issue certificate of non-availability of the suitable non-forest land for raising CA.
iv. As per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, projects of Central Government entities/CPSU and captive coal blocks of the State PSUs are eligible for raising CA over degraded forest land which will be double in extent of the forest land being diverted. Accordingly, the State Government/UT shall not insist for providing non-forest land as CA unless in cases wherein the Central Government

Agencies/CPSUs or State Government PSUs with captive coal blocks are forthcoming to provide non-forest land available with them as CA or the State Government/UT Administration is willing to provides non-forest land on such terms and condition which is agreed by the Central Government Agencies/CPSUs or State Government PSUs in case of captive coal blocks.

v. With regards to the applicability of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024 in respect of proposals of the Central Agencies/PSUs and captive coal blocks of the State PSUs which were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land, the following clarification is given in this regard:

   a. Proposals, which were submitted by the States/UTs before notification of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Amendment Rules, 2024, along with the proposal of raising CA over degraded forest land (DFL) and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), shall be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL in lieu of NFL. The Central Government will consider and grant final approval in such cases stipulating CA over DFL.

   b. Proposals, which were submitted by the States/UTs along with CA proposal over non-forest land and were granted 'in-principle' approval stipulating CA over non-forest land (NFL), can also be allowed to submit compliance of 'in-principle' approval along with CA proposal over DFL provided the non-forest land proposed for CA is not transferred and mutated in favour of the State Forest Department. In such cases, the Central Government or its Regional Office, based on the request of the State/UT Government or user agency, shall amend the condition of in-principle approval to raise CA over DFL on a case to case basis and subsequently the User Agency shall submit the compliance of in-principle for the obtaining the 'final' approval.

In view of the above, the State Government and Union territory Administrations are requested to take into consideration the guidelines mentioned hereinabove while considering the proposals submitted under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

Signed by
Charan Jeet Singh
Date: 17-12-2024 13:56:41

(Charan Jeet Singh)
Scientist 'E'

Copy to:

1. Director, PMO, South Block, New Delhi
2. Secretary, Ministry of Mines /Coal /Steel/ Power/ Railways/ MoRT&H/ Defence/MHA
3. Secretary, Ministry of Defence, Government of India
4. Principal Chief Conservator of Forests & HoFF, All States Governments and Union territory Administrations
5. Dy Director General of Forests (Central) All Regional Offices of the MoEF&CC

6. Nodal Officers, dealing with the matters related to the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, All States Governments and Union territory Administrations
7. Head, NIC, MoEFCC for aligning the PARIVESH 2.0 as per above